W/R

न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

निगरानी / एलआर /509/2000/ जिला सवाई माधोपुर

1– जगन्नाथ दत्तक पुत्र भीमा (फौत) के कायम मुकाम :–

1/1. श्रीमती कल्याणी देवी बैवा जगन्नाथ
1/2. श्रीमति जनसुदी देवी बैवा जगन्नाथ
1/3. धनजीत पुत्र जगन्नाथ
1/4. नवल किशोर पुत्र जगन्नाथ
1/5. रामवीर पुत्र जगन्नाथ
1/6. बनवारी पुत्र जगन्नाथ
1/7. रघनन्दन पुत्र जगन्नाथ
1/8. मैना पुत्री जगन्नाथ
1/9. रामलेखा पुत्री जगन्नाथ
1/10.सुनीता पुत्री जगन्नाथ
समस्त जाति मीणा, निवासी बडौद, तहसील व जिला सवाई माधोपुर।

.....प्रार्थीगण

बनाम

1– मु. कस्सो पत्नि मूलचन्द मीना, निवासी जावदेसर तहसील श्योपुर जिला मरेना (म.प्र.)
2– मु. तुलसा पत्नि जंगा मीना, निवासी जावली तहसील श्योपुर जिला मरेना (म.प्र.)
3– मु. कस्सो पत्नि मूलचंद मीना निवासी जावदेसर तहसील श्योपुर जिला मरेना (म.प्र.) **(नोटः– यह नाम निगरानी प्रार्थनापत्र में दो बार अंकित है, अतः निगरानी में वस्तुतः 3 ही अप्रार्थीगण हैं।)**
4– मु. गुलाब पत्नि रामनारायण मीना, निवासी नरोला, तहसील खण्डार जिला सवाई माधोपुर।

.....अप्रार्थीगण

एकलपीठ

श्री मूलचन्द मीणा, सदस्य

उपस्थित :

श्री योगेन्द्र सिंह, अभिभाषक प्रार्थीगण ।
श्री मुकेश जैन अभिभाषक अप्रार्थीगण।

निर्णय

दिनांकः– 18–09–2012

1– यह निगरानी प्रार्थना पत्र राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 84 के अन्तर्गत अतिरिक्त संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा अपील संख्या 65/1996 में पारित निर्णय दिनांक 28–12–1999 के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है।

2— प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थी जगन्नाथ अपने आपको स्वर्गीय भीमा का दत्तक पुत्र बताता है तथा अभिकथन करता है कि भीमा की मृत्यु के पश्चात उसके द्वारा धारित कृषि भूमि का नामान्तरकरण प्रार्थी की माता मु. मोतिया के नाम स्वीकृत किया गया। प्रार्थी की माता मु. मोतिया का देहान्त होने पर ग्राम पंचायत वरनावदा ने प्रार्थी को भीमा का दत्तक पुत्र मानते हुये अप्रार्थीगण के नाम नामान्तरकरण खोला जाना उचित नहीं समझा तथा दिनांक 30—05—1984 को अप्रार्थीगण के नाम नामान्तरकरण संख्या 704 को अस्वीकृत कर दिया। अप्रर्थीगण द्वारा ग्राम पंचायत वरनावदा के आदेश दिनांक 30—05—1984 बाबत नामांतरकरण संख्या 704 के विरूद्ध उपखंड अधिकारी सवाई माधोपुर के यहां अपील प्रस्तुत की जो निर्णय दिनांक 4—11—1986 द्वारा स्वीकार करके प्रकरण पुनः निर्णय हेतु तहसीलदार खण्डार को भेजा गया। तहसीलदार खण्डार ने प्रार्थी को सुनवाई का पूर्ण अवसर दिये बिना ही आदेश दिनांक 10—07—1987 द्वारा अप्रार्थीगण के नाम नामान्तरकरण स्वीकृत किये जाने के आदेश पारित कर दिये। तहसीलदार खण्डार के उक्त आदेश के विरूद्ध प्रार्थी ने उपखंड अधिकारी सवाई माधोपुर के यहां अपील प्रस्तुत की जो दिनांक 08—02—1996 द्वारा अस्वीकार कर दी गई। उक्त निर्णय की द्वितीय अपील प्रार्थी ने अतिरिक्त संभागीय आयुक्त कोटा के समक्ष पेश की गई, जिसे अतिरिक्त संभागीय आयुक्त कोटा ने अपने निर्णय दिनांक 28—12—1999 द्वारा अस्वीकार कर दिया। उक्त निर्णय दिनांक 28—12—1999 से व्यथित होकर यह निगरानी मण्डल में पेश की गई है।

3— बहस विद्वान अभिभाषकगण उभयपक्ष सुनी गयी।

4— विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण ने निगरानी प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये अभिकथन किया कि प्रार्थी जगन्नाथ स्व. श्री भीमा का दत्तक पुत्र है जिसे ग्राम पंचायत ने भी माना है। किसी भी अधीनस्थ न्यायालय ने दत्तक के बिन्दू पर कोई निष्कर्ष अंकित नहीं किया है जबकि दत्तक पुत्र का बिन्दू सर्वप्रथम तहसीलदार खण्डार द्वारा ही निर्णित करना था। भीमा का दत्तक पुत्र होने से प्रार्थी भीमा की सम्पति का हकदार है। दत्तक पुत्र के बिन्दु की पूर्ण जांच किये बिना अप्रार्थीगण के नाम नामान्तरकरण तस्दीक नहीं किया जा सकता है। तहसीलदार द्वारा गैर कानूनी रूप से क्षेत्राधिकार से परे अप्रार्थीगण के पक्ष में नामान्तरकरण तस्दीक किया हैं। विद्वान अभिभाषक का यह भी तर्क है कि मीणा जाति में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम लागू नहीं होता है और पुत्रियों को कोई हक विरासतन नहीं मिलता है। भीमा व मोतिया का एक मात्र उत्तराधिकारी प्रार्थी जगन्नाथ ही है। प्रार्थी को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान नहीं किया गया। प्रार्थी का वादग्रस्त आराजी पर मु. मोतिया के जीवनकाल से ही लगातार कब्जाकाश्त चला आ रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पंजीकृत

गोदनामा प्रस्तुत करने के लिये कहा है जबकि पंजीकृत गोदनामा करवाने की कोई कानून आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय कानून एवं क्षेत्राधिकार से परे त्रुटिग्रस्त निर्णय है जिन्हें खारिज किया जाकर निगरानी स्वीकार की जावे।

5— उपरोक्त तर्को का विरोध करते हुये विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण ने बहस में कहा कि तहसीलदार खण्डार द्वारा पूर्ण जांच, सुनवाई, व सबूत का पूर्ण अवसर देने के पश्चात ही अप्रार्थी संख्या 1 से 3 के नाम नामांतरकरण खोलने के आदेश पारित किये है। अप्रार्थी संख्या 1 से 3 भीमा व मोतिया के प्राकृतिक व विधिक वारिसान हैं। अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा मामले में समस्त तथ्यों पर पूर्ण विवेचन के पश्चात ही आदेश पारित किये है। अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष है तथा अधीनस्थ न्यायालयों के आलोच्य निर्णयों में क्षेत्राधिकार सम्बन्धी अथवा विधिक या तथ्यपरक ऐसी कोई त्रुटि नहीं है जिसके आधार पर निगरानी के माध्यम से उसमें हस्तक्षेप किया जा सके। अतः निगरानी खारिज की जावे।

6— निगरानी प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों और अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात एवं आलोच्य निर्णयों का आद्योपान्त अवलोकन व अध्ययन किया गया और दोनों पक्षों के विद्वान अभिभाषकगण द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया गया।

7— प्रकरण उपखण्ड अधिकारी सवाई माधोपुर के आदेश दिनांक 04—11—1986 से प्रतिप्रेषित होकर आने के बाद तहसीलदार खण्डार द्वारा जांच के प्रक्रम में दिनांक 16—02—87 को जगन्नाथ पुत्र बदरी तथा मु. कस्सो आदि के बयान लिये। जगन्नाथ को अपने पक्ष में सूची गवाहान प्रस्तुत करने हेतु समय दिया गया लेकिन जगन्नाथ अपने गवाह सबूत पेश करने में असफल रहा। तहसीलदार के आदेश दिनांक 10—07—87 अनुसार मृतक भीमा के निधन पर हल्का पटवारी द्वारा मृतक की तीनों पुत्रियों— अप्रार्थीगण के नाम ही नामान्तरकरण संख्या 704 भर कर पेश किया था किन्तु ग्राम पंचायत के उप—सरपंच ने बिना किसी जांच के जगन्नाथ पुत्र बदरी को मु. मोतिया का दत्तक पुत्र मान कर नामान्तरकरण को अस्वीकार कर दिया। तहसीलदार द्वारा दिनांक 16—02—87 को जगन्नाथ के बयान दर्ज किये हैं। अतः यह कथन सत्य से परे है कि तहसीलदार द्वारा प्रार्थी जगन्नाथ को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही आदेश दिनांक 10—07—87 पारित किया हो। दिनांक 10—07—87 को आदेश पारित करते समय भी जगन्नाथ उपस्थित था। तहसीलदार की पत्रावली की आदेशिका दिनांक 16—02—87, दिनांक 23—02—87, दिनांक 11—03—87, दिनांक 16—05—87 व दिनांक 26—05—87 के अवलोकन मात्र से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा उसे अपना पक्ष प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर दिया गया है।

8— जगन्नाथ के दावे (claim) का आधार यह है कि मु. मोतिया ने अपने पति भीमा के जीवन काल में ही उसे रीति रिवाज से गोद ले लिया था। जगन्नाथ अपने बयान में मात्र यह कहता है कि मृतक भीमा की पगड़ी उसके बांधी गयी थी और भीमा का नुकता उसने किया था। किन्तु यह नहीं बताता है कि भीमा के जीवन काल में मोतिया द्वारा कब व किस प्रकार उसे गोद लिया था। **गोद के प्रकरण में पगड़ी बांधना महत्वपूर्ण नहीं है अपितु गोद लेने व देने की रस्म तथा गोद लेने व देने वाले माता–पिता की सहमति महत्वपूर्ण है।** यहां तक कि तहसीलदार के निर्णय दिनांक 10–07–87 के विरुद्ध प्रार्थी जगन्नाथ द्वारा जो अपील उपखण्ड अधिकारी के न्यायालय में तथा उपखण्ड अधिकारी के निर्णय दिनांक 08–02–1996 के विरुद्ध जो अपील अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त के न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है उक्त अपील ज्ञापनों में भी वह मात्र इतना ही लिखता है कि उसे भीमा के जीवन काल में मु. मोतिया द्वारा रीति रिवाज अनुसार गोद लिया था किन्तु वह यह स्पष्ट नहीं कर पाता है कि उसे कब व किस प्रकार गोद लिया था और गोद की रस्म करते समय समाज–परिवार से कौन पंच पटेल उपस्थित थे।

9— जगन्नाथ का कहना है कि उसे मु. मोतिया द्वारा अपने पति भीमा के जीवन काल में गोद लिया था किन्तु **एक औरत द्वारा अपने पति के जीवन काल में बच्चा गोद लेने की कार्यवाही हिन्दु दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम, 1956 की धारा 8 की परिस्थितियों में ही सम्भव है** और हस्तगत प्रकरण में उक्त धारा 8 में यथावर्णित परिस्थितियां होना साबित नहीं है। यदि जगन्नाथ का दावा (claim) समाज में प्रचलित परम्परा अनुसार गोद लिये जाने बाबत है तो इस न्यायालय के मत अनुसार समाज में प्रचलित परम्पराओं के अनुसार भी ऐसा सम्भव नहीं है कि पति के जीवन काल में पत्नी द्वारा बच्चा गोद लिया जावे। इस प्रकार प्रार्थी जगन्नाथ तहसीलदार खण्डार के समक्ष अपने आपको गोदपुत्र स्थापित नहीं कर सका है। प्रार्थी जगन्नाथ की गोदपुत्र की हैसियत इस तथ्य से भी प्रश्नगत हो जाती है कि अगर भीमा के जीवन काल में ही उसे गोद ले लिया गया था तो भीमा के निधन पर उसका विरासतन नामान्तरकरण मु. मोतिया बेवा भीमा के एकल नाम से क्यों दर्ज हुआ? कथित गोदपुत्र जगन्नाथ व बेवा मोतिया के संयुक्त नाम से नामान्तरकरण क्यों नहीं हुआ और जगन्नाथ द्वारा तत्समय आपत्ति क्यों प्रस्तुत नहीं की गयी? मु. मोतिया के मरने पर ही आपत्ति क्यों की गयी?

10— इस प्रकार प्रार्थी जगन्नाथ का भीमा अथवा उसकी पत्नी मोतिया का गोदपुत्र होना विवादित है और नामान्तरकरण की संक्षिप्त कार्यवाही में गोद के विवादित प्रश्न का विनिश्चयन नहीं किया जा सकता है। **एक बार जब किसी का गोदपुत्र होना प्रश्नगत कर दिया गया है तो फिर गोदपुत्र होने का दावा करने वाले व्यक्ति के पास एक ही रास्ता है कि वह सक्षम न्यायालय से अपने आपको गोदपुत्र घोषित करावे।** इस बिन्दु पर अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त का यह मत उचित है कि *''अपीलान्ट यदि गोद के आधार पर अपना हक चाहता है तो उसे अपने अधिकारों की घोषणा सक्षम न्यायालय*

से करवानी चाहिये।'' इस प्रकार की घोषणा के अभाव में तहसीलदार द्वारा मृतक भीमा की तीनों पुत्रियों के नाम नामान्तरकरण स्वीकृत करने का जो आदेश दिनांक 10–07–1987 पारित किया है वह सर्वथा उचित एवं विधि सम्मत है। उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं है।

11– उपखण्ड अधिकारी द्वारा अपने निर्णय दिनांक 08–02–96 में और सम्भागीय आयुक्त, कोटा द्वारा आलोच्य आदेश दिनांक 29–12–1999 में तहसीलदार के निर्णय दिनांक 10–07–1987 की पुष्टि की है। इस प्रकार तीन अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा समवर्ती निष्कर्ष अंकित करके मृतक भीमा की पुत्रियों– मु. कस्सो, मु. तुलसां व मु. गुलाब को ही विधिक वारिसान माना है। पत्रावली पर प्रार्थी की तरफ से ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिसके आधार पर उक्त समवर्ती निष्कर्ष में निगरानी स्तर पर हस्तक्षेप किया जा सके।

12– प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा एक तर्क यह दिया गया है कि मीना जाति में हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम लागू नहीं होता है और पुत्रियों को मृतक भीमा की वादग्रस्त भूमि में खातेदार दर्ज करना सही नहीं है। इस बिन्दु पर हमारा मत है कि **जब पुरुष व स्त्री– दोनों श्रेणी के उत्तराधिकारी उपलब्ध हों तब यह प्रश्न पैदा होता है कि मीणा जाति/ अनुसूचित जन जाति में पुत्रियों को हक मिलेगा या नहीं। जब विधिक दृष्टि से केवल पुत्रियां ही उत्तराधिकारी हों और कोई पुरुष विधिक वारिस नहीं हो तो फिर केवल पुत्रियों को ही हक मिलेगा।** अतः विद्वान अभिभाषक का यह तर्क स्वीकार्य नहीं है।

13– उपरोक्त अनुच्छेद 7 से 12 में किये गये विवेचन के आधार पर इस न्यायालय का यह सुविचारित निष्कर्ष है कि तहसीलदार खण्डार द्वारा पारित आदेश दिनांक 10–07–1987 तथा उसे पुष्ट करते हुये उपखण्ड अधिकारी, सवाई माधोपुर द्वारा अपील संख्या 43/91 में पारित आदेश दिनांक 28–02–1996 तथा अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, कोटा द्वारा अपील संख्या 65/96 में पारित आदेश दिनांक 28–12–1999 में किसी प्रकार की विधिक अथवा क्षेत्राधिकार सम्बन्धी त्रुटि नहीं है। अतः प्रस्तुत निगरानी सारहीन हो कर खारिज किये जाने योग्य है।

14– परिणामतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत हस्तगत निगरानी एतदद्वारा खारिज की जाती है।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मूलचन्द मीणा)
सदस्य